<u>समाचार</u>

लाकडाउन उल्लंघन पर 12300 रूपये जुर्माना

कोरबा 15 मई 2021 —नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा विभिन्न जोनांतर्गत लाकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही करते हुए कल और आज 12300 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। बेवजह घूमने वालों, लाकडाउन के दौरान दुकान खोलने वालों आदि पर यह कार्यवाही की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोसाबाड़ी जोनांतर्गत 3500 रूपये, टी.पी.नगर जोनांतर्गत 1500 रूपये, बालको जोनांतर्गत 5100 रूपये, रविशंकर शुक्ल जोनांतर्गत 1000 रूपये, दर्री जोनांतर्गत 500 रूपये, सर्वमंगला जोनांतर्गत 700 रूपये का अर्थदण्ड विभिन्न प्रकरणों पर लगाया गया तथा कड़ी हिदायत दी गई कि वे लाकडाउन का उल्लंघन न करें।